फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सुगना देवी जरिये पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर श्री बाबूलाल पिता उमाराम चौधरी नि. बाली जिला पाली

बनाम

राजस्थान सरकार

प्र.सं. 139/2020 (रे.वि.)

GLMS No:- 2020/00343

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.10.2020	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी, अभियोजन अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने जब्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताते हुए जमानत एवं सुपुर्दगी पर, न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन संख्या RJ22 GA 7159 टैंकर को मय उसमें भरे हुए पेट्रोल के, वाहन स्वामी को सुपुर्द करने हेतु निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी एवं पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा टैंकर के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश किए लेकिन टैंकर के अन्दर जो पेट्रोल–डीजल भरा हुआ है उससे संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन एवं उसमें भरा पेट्रोल–डीजल प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों के आधार पर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा वाहन RJ22 GA 7159 टैंकर श्रीमति सुगना देवी पत्नि मीठालाल के नाम है तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ टर्मिनल पो. जालमपुरा ने अपने पत्रांक 06.10.2020 से, उक्त टैंकर मैसर्स किसान केरियर (प्रो. सुगना देवी) से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ टर्मिनल में अनुबंध पर होना बताया है एवं उक्त टैंकर एवं उसमें भरे हुए पेट्रोल–डीजल को ट्रांसपोर्टर मैसर्स किसान केरियर को सुपुर्द किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। साथ ही थानाधिकारी थाना, कोतवाली, चित्तौड़गढ़ ने भी जब्तशुदा वाहन RJ22 GA 7159 टैंकर एवं उसमें भरे हुए पेट्रोल–डीजल की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि जब्तशुदा वाहन RJ22 GA 7159 टैंकर एवं उसमें भरे हुए पेट्रोल–डीजल का स्वामित्व प्रार्थी का है एवं जब्तशुदा वाहन RJ22 GA 7159 टैंकर एवं उसमें भरे हुए पेट्रोल–डीजल की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। अतः जब्तशुदा वाहन RJ22 GA 7159 टैंकर एवं उसमें भरे हुए पेट्रोल–डीजल को 30,00,000/– अक्षरे तीस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। (के.के. शर्मा) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official